>

Title: Need to include Mallah, Nonia, Kumhar, Tatma, Tanti etc. castes in the Scheduled Castes list in respect of Bihar.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, बिहार राज्य में मलाह, जिसे निषाद भी कहते हैं, क्योंठ, नुनिया, तुरहा, कुम्हार, ततमा, तांती, धानुक, गनौता, गोर, कन, नाई और लुहार ये सभी जातियां अति पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल हैं और इन सभी जातियों की सामाजिक तथा आर्थिक हालत बहुत खराब है। इसलिए उनका जो जातीय संगठन, महासंघ है, उसकी मांग है और बराबर संघर्षरत है, आंदोलनरत है, धरना दे रहा है और बराबर मांग कर रहा है कि उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। लुहार मांग कर रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए और एक बार ऐसा हुआ भी था, लेकिन फिर उस जाति का वहां से नाम हटा दिया गया। बिहार में जब श्री लालू प्रसाद जी की सरकार थी और जब श्रीमती रावड़ी देवी जी मुख्य मंत्री थीं, तब वहां की असैम्बली से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर के भारत सरकार को भेजा गया था, लेकिन भारत सरकार ने उस पर अभी तक विचार नहीं किया है।

महोदय, आश्चर्यजनक बात यह है कि अन्य राज्यों में ये जातियां अनुसूचित जाति में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति में शामिल हैं, लेकिन उसी के बगल में, बिहार राज्य में पिछड़ी जाति में शामिल हैं। इस कारण उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए सभी संघर्षरत हैं कि उन्हें अनुसूचित जाति में और लुहार को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सामाजिक न्याय विभाग इस पर कार्रवाई करे और सामाजिक अध्ययन संस्थान से जांच कराए, राज्य सरकार से परामर्श करे और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आदि जो भी संस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन सभी से को-ऑर्डीनेट किया जाए और इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। इन लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं। ये सभी लोग अति पिछड़े और गरीब हैं। इसलिए इन सभी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए और अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए। इस संबंध में सरकार पार्लियामेंट में बिल लेकर आए। हम सब लोग उसका समर्थन करेंगे और उसे पारित कराएंगे, ताकि जो लाखों-करोड़ों लोगों की आकांक्षा है वह पूरी हो सके और जो दबे हुए लोग हैं वे ऊपर आ सकें।

महोदय, जो विमेन्स रिजर्वेशन का बिल आने वाला है, उसमें भी पिछड़ी जातियों का कहीं नाम नहीं है। इसलिए भी हम चाहते हैं कि जब वह बिल आए, तो उसमें इन सभी जातियों का हिस्सा हो और जिनका टोटल रिप्रजेंटेशन सर्विस में अथवा राजनीति के क्षेत्र में नहीं है, उन्हें आरक्षण दिया जाए। यही सवाल है। महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।